IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 29, Issue 1, Series 1 (January, 2024) 63-68
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

अलवर जिले में ग्रामीण विकास में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की भूमिका

प्रदीप कुमार
शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सारांश
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष 1978–79 मे देश के 2300 विकास खण्डो में शुरू किया गया था। और इसे छठी योजना में राष्ट्रीय स्तर पर मूलरूप से गरीबी उन्मूलन के मूल अभियान के रूप में अपनाया गया था। 1980 में देश के सम्पूर्ण विकास खण्डों 5011 में क्रियाशील कर दिया गया। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 तक देश में गरीबी उन्मूलन के प्रमुख कार्यक्रमों के रूप में क्रियाशील रहा। 1 अप्रैल 1999 को दस मिलियन कुआँ योजना सहित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सम्बद्धय कार्यक्रमो (ग्रामीण युवको का प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रो में महिला एवं बाल विकास)। इस योजना की अवधारणा को समझना आवश्यक है ।
मुख्य बिन्दु :– जवाहर रोजगार योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम, सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, उज्ज्वला योजना एवं निष्कर्ष ।

परिचय :–

"समन्वित ग्रामीण विकास से तात्पर्य है कि क्षेत्र विशेष में विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक क्रिया–कलापो में समन्वय स्थापित करके वहाँ के मानवीय भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधानों के आदर्श प्रयोग के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुमुखी एवं सन्तुलित विकास करना" समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गाँवो में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लक्षित वर्ग के लाभार्थी परिवारो को आय उत्पन्न करने वाली उत्पादो, परिसम्पत्तियो, ऋण सुविधायें, अनुदान तथा अन्य आदान प्रदान करके उन्हे स्थाई रूप से गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किये गये। भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक समझा कि लाभार्थी परिवारो को विभिन्न सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आधार भूत संरचना की भी व्यस्था होनी चाहिए। यह कार्यक्रम सहायता प्राप्त कर्ताओ की एक क्रमिक योजना पर आधारित है जिसके आधीन पूँजी लागत का 25 प्रतिशत छोटे कृषको को 33.3 प्रतिशत सीमान्त कृषको कृषि मजदूरो ग्रामीण कारीगरों को एवं 50 प्रतिशत जनजातीय लाभ प्राप्त कर्ताओ को सहायता के रूप में प्रदान किया जायेगा। अन्त्योदय सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये कार्यक्रम का लक्ष्य सबसे पहले गरीब परिवारो तक लाभ पहुँचाना था। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति से ज्ञात होता है कि योजना काल (1980–1985) में 1500 करोड़ रुपये के प्रविधान के विरूद्ध वास्तविक व्यय 1611 करोड़ रुपये हुआ था। 3.00 करोड़ रुपये आवधिक ऋण के विरुद्ध 3. 102 करोड़ रुपये गतिमान कराए गए। अर्थात इस कार्यक्रम पर 4500 करोड़ रुपये व्यय का प्राविधान था जबकि छठवी पंचवर्षीय योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकम के अर्न्तगत प्रति परिवार विनियोग में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर को उठाने के लिए भारत सरकार ने ठोस कदम उठाये है जिन परिवारों की 6400 से कम वार्षिक आय है, उन्हें सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता देती है।

उद्देश्य :–

1 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ग्रामीण विकास में भूमिका के सन्दर्भ में अध्ययन करना ।

2 अलवर जिले में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की भूमिका व कार्य का अध्ययन करना ।

परिकल्पना :–

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों का विकास हुआ है ।

आँकड़ो का संग्रह :–

प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन द्वितीयक आँकड़ो के आधार पर किया गया है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य कमजोरियाँ :–

1. इस कार्यक्रम में वित्तीय साधनो के आवंटन को और भौतिक लक्ष्यों को प्रत्येक विकास खण्ड के लिये एक समान ही रखा गया और जनसंख्या के आकार व गरीबी की मात्रा पर ध्यान नही दिया गया है। इसमें कई बार ऐसे लोगो को सहायता मिली जो सहायता के पात्र नही थे। इस प्रकार का गलत चुनाव लगभग 15–20 प्रतिशत तक था।

2. लाभ प्राप्तकर्ताओ की बहुसंख्या को कोई प्रशिक्षण नही दिया गया।

3. 22 प्रतिशत मामलो मे कोई अतिरिक्त आय जनित नही हुई।

4. लाभ प्राप्तकर्ताओ को पर्याप्त आधार संरचना सुविधाये उपलब्ध नही थी। आदान सुविधा केवल 40 प्रतिशत को, विपणन सुविधा 14 प्रतिशत को और मरम्मत की सुविधा केवल 5 प्रतिशत लाभ प्राप्तकर्ताओ को उपलब्ध थी। वास्तव में योजनाओ में पशुपालन गतिविधियो की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है।

इस योजना के कार्यक्रम

1. ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के प्रशिक्षण

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

3. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों का विकास

4. ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देने की गारन्टी

महत्व :–

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर इसके महत्व को जाना जा सकता है–

1. ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प

2. यह कार्यक्रम ग्रामीण समाज के बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी को दूर करने की योजना है।

3. अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास व कल्याण का प्रयास करना है।

4. समाज की आर्थिक, सामाजिक विषमताएँ, समाप्त करना।

5. सीमान्त कृषक, काश्त श्रमिक, ग्रामीण कारीगर तथा अन्य व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

6. पशुपालन, वानिकी, मत्स्यपालन, डेयरी आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

7. ग्रामीण व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करना।

8. बेरोजगार ग्रामीण व्यक्तियों को प्रेरित कर उन्हें कामकाजी बनाने हेतु प्रयास करती है।

अलवर जिले से समन्विय ग्रामीण विकास कार्यक्रम :–

अलवर जिले में ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आर्थिक स्तर से सबल बनाने के लिए समन्वित योजनाओं के माध्यम से प्रयास किया गया वर्ष 2019–20 में जिला परिषद् द्वारा 165 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के द्वारा यह प्रयास किया। नेवार्ड सर्वेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकला की लगभग 18 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति है जिनकी पहचान "गरीबों" के रूप में की गई और जिन्हें समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम से सहायता दी गई, तहसील मुण्डावर व उमरैण (अलवर), बहरोड़, कठूमर, रामगढ़, गोविन्दगढ़ कुछ प्रमुख तहसील है जहाँ वास्तव में गरीब वर्ग की संख्या अधिक देखी गयी।

जवाहर रोजगार योजना :–

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 28 अप्रैल, 1989 को जवाहर रोजगार योजना चालू करने की घोषणा की। उस समय चल रही सभी भृति रोजगार योजनाओं (हम म्मउचसवलउमदज बीमउमे) का विलय जवाहर रोजगारश् योजना में कर दिया गया। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर एक बड़े छत्र के अधीन कर दिया गया जिसे जवाहर रोजगार योजना का नाम दिया गया।

योजना के मुख्य लक्षण– राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के आठ वर्षो (1980–81 से 1988–89) तक लगातार चलाए जाने के बाद भी ग्राम रोजगार प्रोगाम देश भर में 55 प्रतिशत पंचायतो तक ही पहुंच पाए। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत तक पहुंचना था।

इस योजना का प्रशासन ग्राम पंचायतों के आधीन होगा और इस प्रकार भारत में रहने वाले 440 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे है, ग्राम रोजगार कार्यक्रम से लाभ उठा सकेंगे जबकि पहले चल रहे ग्राम रोजगार कार्यक्रमों में केन्द्र एवं राज्यीय सरकारों द्वारा दी गई सहायता का आधार 50:50 था, वहां जवाहर रोगार योजना में यह तय किया गया कि केंद्रीय सहायता द्वारा 80 प्रतिशत वित्त जुटाया जाएगा और राज्यीय सरकारों का भाग केवल 20 प्रतिशत होगा।

जवाहर रोजगार योजना के लक्ष्य :–

प्राथमिक लक्ष्य – ग्राम क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार और अल्परोजगार पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए लाभकारी रोजगार कायम करना।

द्वितीयक लक्ष्य– इस योजना के कई द्वितीयक लक्ष्य था।

(प) ग्रामीण आधारसंरचना को मजबूत बनाकर स्थायी रोजगार कायम करना।

(पप) सामुदायिक एवं सामाजिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।

(पपप) गरीबों के प्रत्यक्ष एवं निरन्तर लाभ के लिए परिसम्पत्तियो का निर्माण करना।

(पअ) मजदूरी स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालना।

(अ) ग्राम क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में समग्र रूप में सुधार करना।

लक्षित–समूह एवं विशेष सुरक्षा उपाय– जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य विशेषरूप से निर्धनता स्तर से नीचे रहने वाली जनसंख्या की सहायता करना था। इसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों और मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी गयी। इस योजना के अधीन कम से कम 30 प्रतिशत स्त्रियों को सहायता उपलब्ध करायी गयी।

जवाहर रोजगार योजना का मूल्यांकन 1992 में भारत सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का प्रसिद्ध अनुसन्धान संस्थानों द्वारा देश के सभी जिलों में समकालीन मूल्यांकन करवाया। इस जांच के मुख्य परिणाम निम्मलिखित है–

1. ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध राशियों के लगभग 73 प्रतिशत का प्रयोग किया गया।

2. सभी राज्यों मे अकुशल श्रमिकों को दी गयी प्रतिदिन मजदूरी न्यूनतम मजदूरी कानून के आधीन निश्चित न्यूनतम मजदूरी के लगभग बराबर थी।

3. जवाहर रोजगार योजना के विभिन्न कार्यों में जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए, व्यय में मजदूरी और गैर–मजदूरी का भाग 53 : 47 था।

4. लगभग 84 प्रतिशत कार्यो मे उपस्थिति नामावली रखी गयी।

5. निर्मित परिसम्पत्तियों में लगभग 74 प्रतिशत अच्छे संतोषजनक, 8 प्रतिशत घटिया और शेष 18 प्रतिशत या तो अपूर्ण थे या निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप नही थे।

अन्त्योदय अन्न योजना :–

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसम्बर, 2000 को अपने 76वें जन्म–दिवस के अवसर पर दो नई योजनाओं का शुभारम्भ किया, इनमें से एक योजना निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना नाम से प्रारम्भ की गई। इसके तहत् देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारो को प्रति माह 35 कि.ग्रा. (1 अप्रैल, 2002 से) अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत् जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः रु. 2 व रु. 3 प्रति कि.ग्रा. है। इस योजना से एक करोड़ निर्धनतम परिवार (लगभग 5 करोड़ लोग) लाभांवित होते है। यह योजना केंन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत् प्रारम्भ की गई है।

सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया गया है। जिनमे निम्नांकित प्राथमिकता समूहों से परिवारो को शामिल किया गया है–

1. ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन्न बीमार व्यक्ति या विकलाग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति हो। जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो।

2. विधवाएं या मरणासन्न व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष अधिक आयु का व्यक्ति अथवा एक ही अकेली महिला या अकेला पुरुष, जिसका कोई पारिवारिक या सामाजिक सहारा न हों।

3. सभी मूल जनजातीय परिवार (विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत जनजातीय लाभार्थियों का राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश में जनजातीय आबादी के अनुपात में होना चाहिए)

राज्यो / केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे इन अतिरिक्त परिवारों की पहचान करके उन्हे विशेष राशन कार्ड जारी करें ताकि अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ उठा सके।

अलवर में रसद विभाग द्वारा जिला स्तर पर वर्ष 2021–22 में राशन कार्ड व बीपीएल परिवार के लाभाथि की संख्या 75587 थे जिसमें बीपीएल कार्ड धारियों की संख्या 290154 थी।

"सब के लिए घर" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2021–22 तक 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। अलवर में रसद विभाग द्वारा जिला स्तर पर वर्ष 2021 – 22 में राशन कार्ड व बीपीएल परिवार के लाभार्थी की संख्या 75587 थे जिसमें बीपीएल कार्ड धारीयों की संख्या 290154 थी।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (च्डळल्)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक सुधारो का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, ग्रामीण क्षेत्रो में जीवन–स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत ढांचे के पाँच तत्वों की पहचान की गई है, जो इस प्रकार है–

1. स्वास्थ्य, 2. शिक्षा, 3. पेयजल, 4. आवास, 5. सड़कें

वर्ष 2001–02 की वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को एक अतिरिक्त घटक के रूप में जोड़ दिया गया था। इन क्षेत्रो मे किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरूआत वर्ष 2000–01 के दौरान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो में की गई थी। वर्ष 2000–01 तथा वर्ष 2001 – 2 की दो वार्षिक योजनाओं के दौरान च्डळल के 6 क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रबन्धन केन्द्रीय प्रशासनिक मत्रालयों द्वारा किया गया था, किन्तु वर्ष 2002–03 से योजना आयोग ने कार्यक्रमों का सीधे ही प्रबन्धन करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2002–03 की वार्षिक योजना के दौरान च्डळल् के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को नए मार्ग निर्देश जारी कर दिए गए थे। इस योजना के तहत् निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं–

प्रधानमंत्री ग्राम, सड़क योजना :–

ग्रामीण सड़को द्वारा गाँवो को जोड़ने का उद्देश्य न केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायक है। बल्कि इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक स्वीकार किया गया है। स्वतन्त्रता के 5 दशको के बाद भी लगभग 40: भारत के गाँव अच्छी सड़को से जुड़े हुए नहीं हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 25 दिसम्बर, 2000 से यह योजना प्रारम्भ की गई।

इस योजना के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं–

1. योजना के पहले चरण में 1000 से अधिक आबादी वाले गाँवो को अच्छी बारहमासी सड़को से जोड़ने की योजना ।

2. दूसरे चरण में 500 से अधिक आबादी वाले गाँवो को सन् 2007 तक अच्छी, बारहमासी सड़को से जोड़ने की घोषणा ।

3. पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर तथा उत्तराखण्ड) तथा रेगिस्तानी एवं जनजातीय क्षेत्रों (अनुसूची–ट) में 250 या इससे अधिक आबादी वाले गाँवों को सड़को से जोड़कर वित्तमंत्री ने 28 फरवरी, 2005 को अपने बजट भाषण में ग्रामीण सड़कों की पहचान भारत निर्माण योजना के 6 घटकों में से एक के रूप में की थी। और सरकार की ओर से लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2009 तक 1000 की आबादी (पर्वतीय या जनजाति वाले क्षेत्रों के मामले में 500 की आबादी) वाले सभी गाँवों को बारहमासी सड़को से जोड़ दिया जाएगा।

4. इस योजना पर रु0 60,000 करोड़ व्यय होने का अनुमान था।

5. इस योजना का वित्तीयन केन्द्रीय सड़क निधि से किए जाने की घोषणा। अप्रैल 2000 में डीजल पर लगाए गए उपकर की धनराशि का 50ः भाग ग्रामीण सड़को के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक तथा एशियाई बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

6. मार्च 2009 तक कुल रू. 46,807 करोड़ के व्यय से लगभग 2,14,281 किमी लम्बा सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। वर्ष 2013–14 के बजट में योजना के इस घटक के लिए रू. 21,700 करोड आवंटित किए गए हैं।

इन्दिरा आवास योजना :–

इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1985–86 में (मई 1985 में) त्स्म्ळच् की एक उपयोजना के रूप में आरम्भ की गई थी। जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरो को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है। 1989 – 90 में त्स्म्ळच् को श्रत्ल में मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी श्रत् ल वअमतसपदम ब अंग बना दिया गया, किन्तु 1996 में इसे श्रत्ल से अलग करके एक स्वतन्त्र योजना का रूप दिया गया है।

वर्तमान में यह भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में से एक है। इस योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. वर्ष 1993–94 से इस योजना के कार्यक्षेत्र मे गैर–अनुसूचित जातियों के ग्रामीण गरीबों (गरीबी रेखा के नीचे) को भी सम्मिलित किया गया है, किन्तु उनको मिलने वाला लाभ योजना की आवंटन राशि का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता (अर्थात अभी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो के लिए कम–से–कम 60 प्रतिशत अनिवार्य है।) वर्ष 1995–96 से इस योजना का लाभ लड़ाई में मारे गए रक्षाकर्मियों की विधवाओं या निकट सम्बन्धी को भी देने का प्रावधान किया गया था।

2. कुल निर्मित मकानों का 3 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी की रेखा के नीचे के अपंग एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है। इस योजना की कम–से–कम 60 प्रतिशत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए करना होता है।

3. इस योजना के अन्तर्गत मकान का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति–पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है।

4. 1/4/2013 से प्रति आवास सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों में रू. 45,000 से बढ़ाकर रु. 70,000 तथा पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्रों में रू. 48,500 से बढ़ाकर रु. 75,000 कर दी गई है।

5. ग्राम सभा को इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो का चयन करने का अधिकार प्राप्त है।

6. स्वच्छ शौचालय और धुआँ रहिता चूल्हा इस योजना का अभिन्न अंग है।

7. यह योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 75 25 के लागत बटवारे के आधार पर वित्त पोषित की जा रही है।

8. वर्ष 2013–14 के बजट में इन्दिरा आवास योजना के लिए रु. 15,184 करोड़ आवंटित किए गए है।

01 अप्रैल, 2016 से इन्दिरा आवास योजना को सुदृढ़िकृत कर इसके स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारम्भ की गई। वर्ष 2018–19 जिले को 1908 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। मार्च 2019 तक 1352 आवास पूर्ण कर लिय गये हैं। शेष 555 आवास प्रगतिरत है। योजनान्तर्गत जिले के 2289.60 लाख रु. प्राप्त हुए थे। इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि 2289.60 लाख के विरूद्ध 1622.40 लाख रुपये व्यय किये जा चुके है तथा 667.20 लाख रुपये शेष हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :–

सभी को आश्रय–2022 के मद्देनजर 01 अप्रैल 2016 से इन्दिरा आवास योजना को सुदृढ़िकृत कर इसके स्थान पर प्रधनमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत अनुदान राशि रु. 70,000 से बढ़ाकर राशि रु. 120000 की खुले में शौच से विभिन्न बीमारियों की समस्या से छुटकारा मिला है। इस संदर्भ में लगभग 138 परिवारों ने शौचालय निर्माण से बीमारी समाप्त होने की बात कही है।

उज्ज्वला योजना :–

महिलाओं की खरीद–फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शेषण की शिकार महिलाओं के उद्धार, पुनर्वास तथा उन्हें फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केन्द प्रायोजित व्यापक स्कीम उज्जवला का शुभारम्भ 4 दिसम्बर, 2007 को किया गया है। इस योजना में निम्नलिखित पाँच बातें शामिल हैं–

• रोकथाम : इसके तहत् समुदायिक निगरानी समूहो / किशोर समूहों के गठन, जनकारी प्रदान करने, आई.ई.सी. सामग्री तैयार करने तथा कार्यशालाओ आदि के आयोजन का काम शामिल है।

• बचाव : इसमें पीड़ित को शोषण स्थल से सुरक्षित रूप से मुक्त कराने का कार्य शामिल है।

• पुनर्वास : इसमें पीड़ितों के लिए बुनियादी सुविधाओं के हित सुरक्षित सहित सुरक्षित आवास, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ उनके लिए आय सृजन गतिविधियो का संचालन शामिल है।

• समाज की मुख्यधारा में लाना इसके तहत् पीडित महिलाओ को उनके परिवार / समाज में मान–मर्यादा के साथ उचित स्थान दिलाने का कार्य शामिल किया गया है।

स्वदेश भेजना :–

इसके अन्तर्गत सीमापार की पीड़ित महिलाओं को उनके अपने देश में सुरक्षित वापस भेजने में सहायता करना शामिल है। इस योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों में राज्य सरकारो के समाज कल्याण / महिला एवं बालविकास विभाग, महिला विकास निगम तथा केन्द्र, कार्यान्वित करने वाले अभिकरण शामिल है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता कि जवाहर रोजगार योजना में चाहे रोजगार उपलब्ध कराने में थोड़ी प्रगति हुई है। परन्तु प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के लिए 90–100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य अभी एक दूरस्थ स्वप्न ही प्रतीत होता है यदि इस स्वैच्छिक संस्थाओं की इसके कार्यान्वयन में पूर्ण अनुपस्थिति जवाहर रोजगार योजना की एक गंभीर कमजोरी है। मकानों के निर्माण की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए प्रति मकान और अधिक राशि की व्यवस्था करनी होगी। जहां परिसम्पत्तियों का निर्माण महत्वपूर्ण है वहां इनके रख–रखाव की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक समझा कि लाभार्थी परिवारो को विभिन्न सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त आधार भूत संरचना की भी व्यस्था होनी चाहिए। यह कार्यक्रम सहायता प्राप्त कर्ताओ की एक क्रमिक योजना पर आधारित है जिसके आधीन पूँजी लागत का 25 प्रतिशत छोटे कृषको को 33.3 प्रतिशत सीमान्त कृषको कृषि मजदूरो ग्रामीण कारीगरों को एवं 50 प्रतिशत जनजातीय लाभ प्राप्त कर्ताओ को सहायता के रूप में प्रदान किया जायेगा। अन्त्योदय सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये कार्यक्रम का लक्ष्य सबसे पहले गरीब परिवारो तक लाभ पहुँचाना था। छठवीं पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की प्रगति से ज्ञात होता है कि योजना काल (1980–1985) में 1500 करोड़ रुपये के प्रविधान के विरूद्ध वास्तविक व्यय 1611 करोड़ रुपये हुआ था। 3.00 करोड़ रुपये आवधिक ऋण के विरुद्ध 3.102 करोड़ रुपये गतिमान कराए गए। अर्थात इस कार्यक्रम पर 4500 करोड़ रुपये व्यय का प्राविधान था जबकि छठवी पंचवर्षीय योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यकम के अर्न्तगत प्रति परिवार विनियोग में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

संदर्भ :–

1. कार्यालय जिला परिषद्, अलवर
2. एम.आई.एस. रिपोर्ट
3. योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. वार्षिक प्रतिवेदन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज.
5. एम.आई.एस. रिपोर्ट
6. कार्यालय डी.आर.डी.ए., अलवर
7. ई पंचायत पोर्टल, जिला अलवर